संख्या- 1/2016/45/पचासी-16-307(परती)/13

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2016

विषय:- उ0प्र0 भूमि सुधार निगम मे सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की स्थायी व्यवस्था हेतु प्रबन्धक (अनुरक्षण) के अस्थायी पद की निरन्तरता की अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1ए/423/(प्रा0अनुरक्षण)/2013(वाल्यू-।।)/1232, दिनांक 08.01.2016 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परती भूमि विकास विभाग के शासनादेश संख्या-458/पचासी-14-307(परती)/2013, दिनांक 10.09.2014 द्वारा उ0प्र0 भूमि सुधार निगम की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की व्यवस्था हेतु प्रबन्धक (अनुरक्षण) पे-बैण्ड- , 15600-39100 (ग्रेड-पे 5400) के एक अस्थायी पद का सृजन शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 28.02.2015 अथवा पद की समाप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक सृजित किया गया था। उक्त पद की निरन्तरता शासनादेश संख्या-104/पचासी-15-307(परती)/13टी.सी, दिनांक 28 मई, 2015 द्वारा 01 वर्ष हेतु (दिनांक 29 फरवरी, 2016) बढायी गयी थी।

[redacted] चूँकि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु पदों को बनाये रखने के लिए आवश्यक बताया गया है, अत: उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 10.09.2014 में निधार्रित शर्तो एवं प्रतिबन्ध के अधीन, प्रश्नगत 01 अस्थायी पद की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बनाये रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2-877/दस-92-24(87)/92, दिनांक 17.11.1992 मे उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-45(1)/पचासी-16-307(परती भूमि)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा परीक्षा,उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।